

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA150 Moolsingh Vs State

मूलसिंह पुत्र हनुवंतसिंह राजपुरोहित
निवासी बडली, तहसील जोधपुर
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक
कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक
13 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 11/2014
राजस्थान सरकार बनाम हनुवंतसिंह

----- 0 -----



उपस्थित-

श्री बेनाराम पटेल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट


श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

निर्णय

दिनांक : 13 दिस., 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 11/2014 राजस्थान सरकार बनाम मूलसिंह में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को पेश की है।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान काश्तकारी



राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर राजस्व ग्राम बडली जिला जोधपुर स्थित अपीलाण्ट की खातेदारी के खसरा संख्या 322 की 132 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि पर अवैध खनन मानते हुए खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि--

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बिलकुल निराधार, गलत, सुस्पष्ट विधि के विपरीत, मनमाना एवं रेकर्ड पर आंयी साक्ष्य के विपरीत होने से काबिले खारिज है।
2. अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से खारिज किये जाने योग्य है।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व प्रकरण की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 की उपधारा 4 के अनुरूप सम्पादित नहीं की गयी है।
4. प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपने पक्ष में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। पटवारी हळका की जिस रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट के खिलाफ समस्त कार्यवाही कर प्रार्थी के खिलाफ वेदखली के आदेश जारी किये गये, स्वयं उस पटवारी के बयान अधीनस्थ न्यायालय में कलमबद्ध नहीं कराये गये है।




राजस्थान राज्य बार कौन्सिल
जोधपुर

5. धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की कार्यवाही के तहत नियमानुसार तामील होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है और तामील होने के बाद यदि जबाब पेश होता है तो उस स्थिति में एक नियमित वाद के समान कार्यवाही की जाना होता है, अन्यथा तहसीलदार एवं खनन विभाग को साक्ष्य सबूत पेश कर केस को साबित करना होता है।
6. धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही के लिए मियाद की सीमा तीन साल की है, इसलिए यह देखा जाना आवश्यक है कि कब कार्यवाही की गयी और न्यायालय में धारा 177 के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है अथवा नहीं।
7. अधीनस्थ न्यायालय में 11 जून 2015 की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थी-अपीलाण्ट के नोटिस विधिवत तामील नहीं होने के कारण पुनः पेश होने पर जारी किये जाने के निर्देश दिये गये।
8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को वादग्रस्त आराजी का तनहा खातेदार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि वादग्रस्त आराजी के अपीलाण्ट के अलावा अन्य और भी कई सहखातेदार हैं, जिन्हें मामले में पक्षकार बनाये बिना और साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।



[Signature]
राजस्थान हाइकोर्ट
जयपुर

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपील खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध खनन किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत असंवैधानिक कृत्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आघोषान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि -

1. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या तीन में वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो खनि-विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत तहसील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रार्थनापत्र के बिन्दु 4 में उक्त दल द्वारा वक्त निरीक्षण वादग्रस्त आराजी में अवैध खनन किया/करवाया जाना पाया जाने पर दल द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यवाही की दिनांक, ऐसे किसी दल के मुखिया आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध है।



राजस्थान हाइकोर्ट
जयपुर

2. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 7 फरवरी 2014 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।
3. दिनांक 11 जून 2015 की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थी-अपीलाण्ट के नोटिस विधिवत तामील नहीं होने के कारण पुनः पेश होने पर जारी किये जाने के निर्देश दिये गये।
4. इसके बाद भी किसी आदेशिका में अप्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से किसी अधिवक्ता या स्वयं अप्रार्थी-अपीलाण्ट का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना अंकित नहीं है और न ही उक्त दिनांक की आदेशिका के अनुसरण में कोई नोटिस जारी किया जाना अथवा उक्त आदेशिका की दिनांक के बाद कोई नोटिस उक्त अपीलाण्ट पर तामीलशुदा या अदम-तामील अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 02 नवम्बर 2018 में अंकित कर दिया कि अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके हैं। इनका जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली दिनांक 18/11/2018 को पेश हो। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया।
5. समूचे प्रकरण में खसरा संख्या 322 रकबा 132 बीघा 15 विस्वा में से अपीलाण्ट द्वारा अपने हिस्से पर अवैध खनन किया जाना वर्णित करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये


 राजस्व आ. अधिकारी
 बीकानेर



उक्त भू-भाग बाबत अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी निरस्त की जाकर यह भू-भाग राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये है। मगर अपीलाण्ट के हिस्से का यह भू-भाग विशेष है कौनसा? कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट तक में अवैध खनन वाले भू-भाग विशेष की अवस्थिति/हददो आदि का विवरण नहीं दिया गया है। न ही खसरा संख्या 322 का कुल रकबा ही लिखा गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में खनन रकबा अंकित ही नहीं किया है।


6.

वादग्रस्त

आराजी से संबंधित जो राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी संवत 2059-2062 ग्राम बडली अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है, उसके अवलोकन से विदित होता है कि वादग्रस्त आराजी के मूल खसरा संख्या 322 रकबा 132 बीघा 15 बिस्वा का दिनांक 23 अगस्त 2010 को बंटवारा हो चुका है। जिसमें वादग्रस्त खसरा संख्या 322 रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा के खातेदार अपीलाण्ट है, न ही बल्कि अन्य व्यक्ति खातेदार है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 आधारहीन एवं विधिसम्मत: नहीं होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(नखतदान बारहठ)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर